<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/टीए/3452/2004/झुन्झनु</u>

बीरबल पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी रपेसवालों की तन भौडकी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झनु

अपीलार्थी

बनाम

1 गुरूदयाल पुत्र गोपाल जाति जाट(गढवाल)
2 हरचंद पुत्र सुरजा जाति जाट (नीतड)
3 नौरंग पुत्र रामसुख जाति जाट (नीतड)
4 मामराज पुत्र नाथा जाति जाट (गढवाल) सभी निवासी ढाणी पूरनका खुद की तन भौडकी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झनु

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री जे.के.पारीक वकील अपीलार्थी
श्री दुनीचंद ढिढांरिया वकील प्रत्यर्थीगण

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः.28.6.2018</u>

यह द्वितीय अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झनु द्वारा अपील संख्या 25/03 में पारित निर्णय दिनांक 29.6.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के समक्ष एक वाद संख्या 89/02 बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अलावा भूमि खसरा नम्बर 1834, 1872 के भूमि खसरा नम्बर 1862 का खातेदार काश्तकार है तथा काबिज है। विवादित भूमि में कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है व न ही हैं। प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण जबरन रास्ता निकालने पर आमादा हैं। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर दो तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक

22.11.2002 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध प्रतिवादीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झनु के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29.6.2004 से अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी वादी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी अपीलार्थी विवादित भूमि का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं काबिज है। प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है तथा उनके खेत भी विवादित आराजी के आसपास नहीं है। परन्तु वे जबरन लाठी के बल पर रास्ता निकालना चाहते हैं। मौके पर एवं राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी रास्ता वे ही लोक क्लेम कर सकते हैं जो प्रभावित हो। प्रत्यर्थीगण किसी भी प्रकार से प्रभावित व्यक्ति नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कयास के आधार पर एवं सरपंच की लिखावट के आधार पर राजस्व अभिलेख के विरूद्ध रास्ता होना मानकर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है जिससे वाद बाहुल्यता बढेगी। प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण ताकत के बल पर जबरन रास्ता निकालने में सफल हो जावेगें। जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि पर से मौके पर रास्ता चालू हैं जिसे वादी जबरन बन्द करना चाहता हैं एवं इससे लगती सरकारी भूमि पर कब्जा करना चाहता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण को जांच कर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है। मौके पर जांच से यह स्पष्ट हो जावेगा कि मौके पर रास्ता है अथवा नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने राजस्व अभिलेख एवं बयानात को देखकर यह माना कि खसरा नम्बर 1862 मे कोई रास्ता दर्ज नहीं है। वादी विवादित भूमि का खातेदार है, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह उल्लेख करते हुए कि विचारण न्यायालय ने समस्त रेकर्ड का अवलोकन किये बिना निर्णय दिया है जिससे प्रकरण में मौका देखकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है।

7. विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर दो तनकियात कायम की है। तनकी संख्या 1 इस आशय की है कि बाया वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 प्रदर्श पी1 में विवादित भूमि बीरबल पुत्र गणेशा व राधा बेवा गणेशा की खातेदारी

में दर्ज है। राधा वादी बीरबल की माता है। वादी के अनुसार उनकी माता का देहान्त हो चुका है। इससे यह स्पष्ट है कि वादी विवादित भूमि का अभिलेखीय खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण ने इसके विपरीत कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे वे विवादित भूमि के खातेदार अथवा सह खातेदार होना प्रमाणित होता हो। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

8. तनकी संख्या 2 इस आशय की है कि आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 में किये गये विवेचन के अनुसार वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वादी वर्तमान प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। प्रतिवादीगण का कथन रहा है कि विवादित भूमि में मौके पर रास्ता चालू है जिसे वादी बन्द करना चाहता है एवं वादी का कहना है कि प्रतिवादी जबरन रास्ता निकालना चाहते हैं। यह तो स्पष्ट है कि विवादित भूमि वादी के खातेदारी की है तथा राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज नहीं है। नक्शा ट्रेस में भी कटान का रास्ता अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अभिलेख में कोई रास्ता अंकित नहीं है।

9. प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाबदावे में यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है कि विवादित आराजी में स्थित रास्ते का वे स्वंय उपयोग करते हैं बल्कि यह कथन किया है कि पडौसी काश्तकार इस रास्ते से जोहडी में अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं एवं जोहडी का यही रास्ता है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण के खेत विवादित भूमि के आसपास नहीं है एवं इस भूमि में से स्वंय आते जाते हो सिद्ध नहीं किया है। राजस्व अभिलेख में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। राजस्व अभिलेख से अधिक महत्व मौखिक साक्ष्य को नहीं दिया जा सकता है। रास्ते के संदर्भ में धारा 251 व 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पृथक से प्रावधान बने हुए हैं तथा भू राजस्व अधि0 में भी इस संदर्भ में प्रावधान दिए हुए हैं। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों के विपरीत प्रकरण को अनावश्यक रूप से प्रतिप्रेषित किया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झनु का निर्णय दिनांक 29.6.2004 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवादी का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.2002 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष